न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी   जगदीश प्रसाद गौड़ R.A.S

दावा सं. 132/2016

उनवान

श्रीमति रेशमी देवी   बनाम   ज्ञानबाई वगै०

प्रार्थना पत्र बाबत इकतरफा
आदेश मंसूख किये जाने

उपस्थित: श्री सूरजभान धनिया एड०- वादिया
श्री सुरेश चन्द शर्मा एड०- प्रार्थीया/प्रति०

आदेश   दिनांक 11-10-2017

प्रार्थीया/प्रतिवादी लाली देवी कि ओर से जरिए वकील एक प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में दिनांक 23-6-2017 को प्रतिवादी न०4 लाली देवी की इकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया था। प्रतिवादी न०4 ने अपने अभिभाषक को उक्त प्रकरण मे हाजिर होने बाबत हिदायत पैरवी दी थी लेकिन प्रतिवादी न०4 के अभिभाषक दिनांक 23-6-2017 को उपस्थित नही हो सका व प्रतिवादी न०4 अपने अभिभाषक के भरोसे मे रही। प्रतिवादी न०4 व उसके अभिभाषक अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 23-6-2017 को इकतरफा का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी न०4 की इकतरफा होने से वह इस मुकदमे की पैरवी नही कर सकती है ना ही जवाब पेश कर सकती है। उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का उक्त भूमि पर विभाजन करने हेतु गया तब प्रार्थीया/प्रतिवादी न०4 को उक्त प्रकरण मे इकतरफा होने की जानकारी हुई। इससे पूर्व इकतरफा कार्यवाही की कोई जानकारी नही थी। उक्त प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दिनांक 23/6/17 की इकतरफा कार्यवाही का आदेश मंसूख फरमाया जावें एवं

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

जबाब देही का मौका प्रदान किया जावे।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाब पेश कर जबाब के विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थीया लाली देवी को प्रकरण में पक्षकार होने की तामिल होने के पश्चात से जानकारी थी। जिसने जानबूझकर प्रकरण में उपस्थित दर्ज नही कराई एवं बाद मे झूठ मिथ्या कहानी बनाकर यह प्रार्थना पत्र मान० न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की है। प्रकरण में पी० डी० की पालना भी हो चुकी है। अत जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर वकुलाय उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया लाली देवी के वकील ने बताया उक्त प्रकरण में प्रार्थीया लाली देवी की दिनांक 23-6-2017 को इकतरफा कार्यवाही की गई है। प्रार्थीया द्वारा मुझे हिदायत पैरवी दी थी। परन्तु उपस्थित नही हो सका। दिनांक 23-6-2017 को इकजाई पेशी दी गई थी। प्रार्थीया को इकतरफा कार्यवाही की जानकारी पटवारी हल्का मौके पर विभाजन करने गया तब हुई थी। इससे पूर्व प्रार्थीया को इकतरफा कार्यवाही की जानकारी नही थी। विभाजन की रिपोर्ट भी पटवारी हल्का द्वारा गलत बनाई गई है। अत: प्रार्थीया के विरुद्ध किया गया इकतरफा कार्यवाही आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं जबाब देही का अवसर प्रदान किया जावे।

दौराने बहस वकील वादी ने बताया कि प्रार्थीया के विरुद्ध दिनांक 23-6-2017 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीया को उक्त प्रकरण विचाराधीन होने की जानकारी तामिल होने के दिन से ही थी। प्रार्थीया के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र मे ऐसा कोई ठोस कारण भी अंकित नही किया। प्रार्थीया ने अपनी उपस्थिति जानबूझकर दर्ज नही करवाई जबकि प्रार्थीया को शुरू से ही जानकारी थी। पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव न्यायालय आदेश के अनुसार सही तैयार किया गया है जिस पर सन्देह नही किया जा सकता। प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव का चुका है। प्रार्थीया द्वारा अब यह प्रार्थना पत्र प्रकरण को केवल मात्र देरीना करने की वजह से पेश किया गया है। अत: प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जावें।

वकुलाय उभय पक्ष की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल प्रार्थीया के तामील हुए सम्मन का अवलोकन

---3---

किया गया। सम्मन के अवलोकन से पाया गया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 28-4-2017 की पेशी बाबत सम्मन जारी किये गये थे एवं दिनांक 28-4-2017 को न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु जारी किये गये थे। दिनांक 28-4-2017 को उपस्थित होने की सूचना का सम्मन प्रार्थीया द्वारा स्वयं ने प्राप्त किया था एवं सम्मन प्राप्ति बाबत अपनी अंगूठा निशानी की थी। इस आधार पर प्रार्थीया की असालतन तामिल होना पाया जाता है। इस आधार पर मैं वकील प्रार्थीया के इस कथन से सहमत नही हूँ कि प्रार्थीया को प्रकरण की जानकारी नही थी। प्रार्थीया की दिनांक 28-4-2017 से पूर्व असालतन तामिल होने के पश्चात भी न तो प्रार्थीया स्वयं उपस्थित हुई ना ही प्रार्थीया कि ओर से कोई उपस्थित हुआ। उसके पश्चात भी दिनांक 23-6-2017 को न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान बार-बार आवाज दिलवाई जाने के पश्चात भी कोई उपस्थित नही होने पर प्रार्थीया के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। जो आदेश करीब 2 माह का समय व्यतीत होने के पश्चात हुआ है। जब प्रार्थीया द्वारा अपना सम्मन स्वयं ने प्राप्त किया है जिससे यह बात तो स्पष्ट है कि प्रकरण विचाराधीन होने की सूचना प्रार्थीया को दिनांक 28-4-2017 से पूर्व हो चुकी थी। इस आधार पर प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे यह तथ्य गलत अंकित किया है कि प्रार्थीया को एक पक्षीय कार्यवाही होने की जानकारी पटवारी हल्का मौके पर गया तब हुई है। प्रार्थीया की असालतन तामिल होने के पश्चात भी प्रार्थीया द्वारा इतना समय व्यतीत हो जाने तक उपस्थिति दर्ज क्यो नही कराई जिस बाबत प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे ऐसा कोई ठोस कारण भी अंकित नही किया है। वकील प्रार्थीया का एक तो यह कहना कि उक्त प्रकरण मे हाजिर होने हेतु मुझे हिदायत पैरवी दी थी तथा एक ओर से यह कहना कि पटवारी हल्का विभाजन हेतु मौके पर गया तब इकतरफा कार्यवाही की जानकारी हुई है यह दोनो ही तथ्य विरोधाभाषी है। प्रार्थीया की असालतन तामिल होने के पश्चात भी इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी प्रार्थीया द्वारा प्रकरण की जानकारी लेना उचित नही समझा। प्रकरण मे एक पक्षीय आदेश पारित होकर प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है जिसमे प्राथमिक डिक्री की अनुपालना मे तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

नीमकाथाना से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। इस स्टेज पर प्रार्थीया द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि केवल मात्र प्रकरण को देरीना करने की गर्ज से पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नही समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साबित नही होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11-10-2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी नीम का थाना (सीकर)

ह०/-
(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)